

दिनांक 12.11.2021 को पंचायती राज तथा ग्राम्य विकास विभाग की आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 12.11.2021 को पंचायती राज तथा ग्राम्य विकास विभाग की बैठक आयुक्त कार्यालय -गोण्डा के सभागार में सायं 4.00 बजे से प्रारम्भ हुई। बैठक में पंचायती राज तथा ग्राम्य विकास विभाग के मण्डलीय व जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज-2 के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण:-

क्रमांक	जनपद	लक्ष्य	कुल भुगतान किये गये लाभार्थियों की संख्या	भुगतान हेतु अवशेष लाभार्थियों की संख्या	पूर्ति/जियो टैग	निर्माण हेतु अवशेष
1	2	3	4	5	6	7
1	गोण्डा	19973	15605	4368	1147	18826
2	बलरामपुर	10276	7444	2832	997	9279
3	बहराइच	20485	16339	4146	1367	19118
4	श्रावस्ती	8580	8580	00	1122	7458

उपनिदेशक, पंचायत द्वारा बताया गया कि विकास खण्ड स्तर से जनपद स्तर पर प्राप्त होने वाली लाभार्थियों के खाते निष्क्रिय/फ्रीज/गलत होने के कारण लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों के खातों में धनराशि का प्रेषण नहीं किया जा सका, इसी माह के अन्त तक अवशेष सभी लाभार्थियों के खातों में धनराशि का प्रेषण कर दिया जायेगा। उपनिदेशक, पंचायत तथा सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अवशेष बचे सभी चयनित लाभार्थियों के खातों में प्रथम किश्त की धनराशि इसी माह में हस्तान्तरित करायें।

(कार्यवाही-उपनिदेशक, पंचायत एवं समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी)

ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण की स्थिति-

समीक्षा में पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण की स्थिति निम्नानुसार पायी गयी-

क्र सं 0	जनपद	पंचायत भवन				सामुदायिक शौचालय			
		लक्ष्य	स्थल चयन	निर्मित	निर्माणाधीन	लक्ष्य	स्थल चयन	निर्मित	निर्माणाधीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गोण्डा	472	470	239	231	1054	1052	942	110
2	बलरामपुर	358	358	209	149	800	800	730	70
3	बहराइच	373	373	291	82	1045	1045	1035	10
4	श्रावस्ती	38	36	35	01	397	397	397	00

समीक्षा में जनपदों में निर्मित हो रहे सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की स्थिति संतोषजनक पायी गयी परन्तु पंचायत भवन निर्माण में जनपदों की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं पायी गयी। जनपद गोण्डा की दो ग्राम पंचायतों में भूमि की उपलब्धता न होने के कारण पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालय तथा जनपद श्रावस्ती की दो ग्राम पंचायतों में भूमि की उपलब्धता न होने के कारण पंचायत भवन का कार्य अभी भी अनारम्भ है। इस सम्बन्ध में उपनिदेशक, पंचायत तथा जिला पंचायत राज अधिकारी गोण्डा एवं श्रावस्ती को निर्देशित किया

गया कि ऐसी ग्राम पंचायतों में यदि कोई ग्रामवासी भूमि दान के रूप में दे तो नियमानुसार स्वीकार करते हुए निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ कराये, यदि किसी भी दशा में भूमि उपलब्ध न हो तो नियमानुसार भूमि क़य की कार्यवाही करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराकर अवशेष सामुदायिक शौचालयों एवं पंचायत भवनों को इस माह के अन्त तक पूर्ण करायें। इसके साथ ही पुराने तथा नये ऐसे पंचायत भवन जो पूर्ण हो चुके हैं, उनको ग्राम सचिवालय के रूप में संचालित करने हेतु समस्त आवश्यक सामग्री यथा कम्प्यूटर फर्नीचर आदि शासन के नियमों के अनुरूप क़य करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही—उपनिदेशक, पंचायत एवं समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी)

आपरेशन कायाकल्प:—

आपरेशन कायाकल्प की समीक्षा में पाया गया कि मण्डल के जनपद गोण्डा में कुल लक्ष्य के सापेक्ष 98.49 प्रतिशत, बलरामपुर में 97.61, जनपद बहराइच में 93.58 तथा जनपद श्रावस्ती में 79.86 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गये है। उपनिदेशक, पंचायत द्वारा बताया गया इस धनराशि से पुराने पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा ए.एन.एम. सेन्टर आदि के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है। समीक्षोपरान्त उपनिदेशक, पंचायत तथा सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर पंचायती राज गाइडलाइन्स के अनुसार कार्य कराया जाय।

(कार्यवाही उपनिदेशक, पंचायत एवं सभी जिला पंचायत राज अधिकारी)

हैण्डपम्पों का रीबोर/मरम्मत की समीक्षा जिसका विवरण निम्नवत है— समीक्षा में संज्ञान में आया कि मण्डल में माह अक्टूबर तक 8398 हैण्डपम्पों के रीबोर के लक्ष्य के सापेक्ष 8314 हैण्डपम्पों का रिबोर कराया गया है तथा 18479 हैण्डपम्पों के मरम्मत के लक्ष्य के सापेक्ष 18295 हैण्डपम्पों का सामान्य मरम्मत कराया गया है। ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल मिल सके इसके लिए निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायतों में स्थापित हैण्ड पम्पों का समय-समय पर क्लोरीनेशन कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी देवीपाटन मण्डल गोण्डा)

पंचम राज्य वित्त आयोग—एक्शन साफ्ट/प्रिया साफ्ट साफ्टवेयर पर राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि/अनुदान राशि के व्यय के प्रगति की समीक्षा:—

राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के भुगतान की समीक्षा में पाया गया कि जनपद गोण्डा में कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 75.63 प्रतिशत धनराशि का व्यय किया गया है जबकि बहराइच में 77.46, बलरामपुर में 79.94 तथा श्रावस्ती में 75.80 प्रतिशत धनराशि का व्यय किया गया है। जनपद बलरामपुर द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का विवरण वेबसाइट पर फीड नहीं किया गया है जबकि राज्य वित्त आयोग की धनराशि शासन स्तर से सीधे ग्राम पंचायतों को प्राप्त होती है इस क्रम में जिला पंचायतराज अधिकारी बलरामपुर को निर्देशित किया गया कि जनपद की ग्राम पंचायतों में प्राप्त राज्य वित्त आयोग की धनराशि की सूचना पोर्टल पर फीड करायें।

(कार्यवाही उपनिदेशक, पंचायत एवं सभी जिला पंचायत राज अधिकारी)

ग्राम पंचायत विकास योजना(जी०पी०डी०पी०)—

मण्डलान्तर्गत जनपद के सभी ग्राम पंचायतों की वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना तैयार करायी जानी है इसके लिए यह आवश्यक है कि माह दिसम्बर 2021 तक प्रत्येक ग्राम

21

पंचायत की खुली बैठक हो जानी चाहिये। 31 दिसम्बर के उपरान्त आगामी विधान सभा चुनाव की आचार संहिता कभी भी लग सकती है जिसके बाद ग्राम पंचायतों की कार्य योजना बनाना एवं फीड कराना सम्भव नहीं होगा अतः 31 दिसम्बर के पहले शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना बनाते हुए फीड कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही उपनिदेशक, पंचायत एवं सभी जिला पंचायत राज अधिकारी)

अन्य बिन्दु-

- ❖ कोविड संक्रमण से बचाव के लिए शासन स्तर से जारी मानक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाना है। उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि माह नवम्बर 2021 में ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों का वैक्सीनेशन कराया जाय। उपस्थित जिला पंचायत राज अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिस ग्राम पंचायत में शासन की मंशानुसार शत-प्रतिशत व्यक्तियों का वैक्सीनेशन हो गया है ऐसे ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत कराया जाय।
- ❖ आगामी वर्ष के प्रारम्भ में विधान सभा चुनाव सम्भावित है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक विद्यालय/शासकीय भवन जहां-जहां मतदेय स्थल है वहां-वहां चुनाव से सम्बन्धित आधारभूत सुविधाएं समय से पूर्व ही पूर्ण करा ली जाय।
- ❖ विधान सभा मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम में बी0एल0ओ0 के रूप में ऐसे सफाई कर्मियों की डियूटी लगाई गयी है जो निरक्षर या प्राइमरी स्तर तक ही शिक्षित है उनके स्थान पर किसी अन्य योग्य कर्मचारियों की डियूटी लगायी जाय।

(कार्यवाही उपनिदेशक, पंचायत एवं सभी जिला पंचायत राज अधिकारी)

ग्राम्य विकास विभाग:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण), की समीक्षा के दौरान सभी परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को निर्देशित किया गया कि लक्षित आवासों के सापेक्ष अवशेष लाभार्थियों को अविलम्ब द्वितीय किशत व तृतीय किशत अवमुक्त की जाय तथा कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करतें हुये आवासों निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराया जाय। निर्माण कार्य में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय।

(कार्यवाही समस्त मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:- समीक्षा के दौरान उपायुक्त, एन.आर.एल.एम.-बलरामपुर द्वारा बताया गया कि सभी जनपदों में सी.आर.पी.झाड़व चल रही है, समूह गठन का लक्ष्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। सभी जनपदों के उपायुक्त, एन.आर.एल.एम. द्वारा समूहों द्वारा किये जा रहे कार्यकलापों के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी गयी। निर्देश दिया गया कि समूहों के प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे समूह उत्पादक गतिविधियों में लग सकें।

(कार्यवाही समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उपायुक्त, एन.आर.एल.एम.)

मनरेगा:- समीक्षा के दौरान जनपद-बलरामपुर की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी। उपायुक्त, मनरेगा-बलरामपुर द्वारा बताया गया कि बरसात के कारण 03 विकास खण्ड लगभग 70 प्रतिशत बाढ़ग्रस्त होने के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है। अब सभी ग्रामों में कार्य की मांग प्राप्त हो रही है एवं तदनुसार कार्य भी कराया जा रहा है। समीक्षोपरान्त सभी

उपायुक्त, मनरेगा को निर्देशित किया गया कि कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करते हुये प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि जिन विकास खण्डों/ग्राम पंचायतों में निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी प्रगति नहीं हो रही है, उनका भ्रमण उपायुक्त, मनरेगा स्वयं करें।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उपायुक्त, मनरेगा)

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण):- समीक्षा के दौरान जनपद-श्रावस्ती की प्रगति खराब पायी गयी। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण-श्रावस्ती को निर्देशित किया गया कि आवासों की गहन समीक्षा करते हुये इस माह के अन्त तक लक्षित 10 आवासों को पूर्ण कराया जाय। जनपद-बहराइच की प्रगति भी सन्तोषजनक नहीं पायी गयी, लक्षित आवासों के सापेक्ष पूर्ति 50.58 प्रतिशत पायी गयी। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण-बहराइच को निर्देशित किया गया कि आवासों की समीक्षा करते हुये प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय। आवासों का निर्माण कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार सुनिश्चित कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण)

बैठक के अन्त में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी तथा यह निर्देश दिये गये कि सभी मण्डलीय अधिकारी व जनपद स्तरीय अधिकारी समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

(एस0वी0एस0 श्रावस्ती)
आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल,
गोण्डा।

कार्यालय आयुक्त, देवीपाटन मण्डल-गोण्डा।

पत्रांक 327 / बैठक कार्यवृत्त / 2020-21

दिनांक 20-11-2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी-गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती।
2. मुख्य विकास अधिकारी-गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती।
3. परियोजना निदेशक, जि0ग्रा0वि0अभि0 / उपायुक्त-मनरेगा / उपायुक्त-एन.आर.एल.एम.
-गोण्डा / बलरामपुर / बहराइच / श्रावस्ती।
4. उपनिदेशक-पंचायत / जिला पंचायत राज अधिकारी-गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, गोण्डा को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

21
संयुक्त विकास आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल,
गोण्डा।